

अग्निशामन सेवा मुख्यालय, ब्यारखाण्ड, रौंठी।

दिनांक-09वीं जुलाई 2019

सेवा में

श्री शुभम साधु,

नेशनल ट्रेडर्स, कचहरी चौक के पास, रौंठी।

विषय-

मौजूदा-तुपुदाना, प्लॉट नं०-783, खाता संख्या-129, वार्ड नं०-NA, धाना-267, ब्रिजफोर्ड स्कूल के पास, रिंग रोड, तुपुदाना, रौंठी में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपरोक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित स्थल की जीव प्रभारी अग्निशामन सेवा प्रदायिका, ब्यारखाण्ड, रौंठी से कराई गई। उनके द्वारा डायाग्निक-357 दिनांक-08.07.19 के माध्यम से समर्पित स्थल निर्माण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित आवासीय गार्डन आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पच्चीस हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशामन वाहनों को पानी दिले जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection का निर्माण कराया जाय।
3. अग्निशामन कार्य हेतु कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता वाले टैरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओवरहैड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टैंडपैन्स लॉबी में एक ऐसे वेट राइजिंग कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तल पर 30-30 मि० लम्बा होजरोल होज तथा डिस्चार्जिंग आउटलेट का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रत्येक तल पर डिस्चार्जिंग आउटलेट के पास दो-दो अदद डिस्चार्जिंग होज एवं एक-एक अदद बॉय ब्रिच मोजल सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. अग्निशामन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 1620 Lpm क्षमता का एक-एक फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
7. समान क्षमता का लीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
8. 900 LPM क्षमता का एक अदद टैरेस पम्प संस्थापित कराया जाय।
9. प्रस्तावित बेसमेंट एवं ग्राउण्ड फ्लोर को रिडिकलर सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
10. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से कराया जाय।
11. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अवकाश उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डीसीपीड अग्निशामन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. मैन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
13. प्रस्तावित भवन को किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बंधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशामन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यकथान उत्पन्न न हो।
14. प्रस्तावित भवन के सामनेवाले भाग में 12 मीटर चौका दोस समतल एवं सूखा स्थान हर समय उपलब्ध रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में Hydraulic Platform से अग्निशामन अवकाश बचाव कार्य करने में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।
15. भवन को उपरोक्त में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जीव प्रतिवेदन अवकाश प्राप्त कर लेने साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक सपथ पत्र समर्पित करेगी कि अग्निशामन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह कर लिया गया है।

LUCKY CONVERGES

(Signature)

PARTNER

16. मजदूरी के मेन रिटायर बोर्ड के पास 04.5 के 0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0ट्ट0 तथा 06 के 0जी0 क्षमता के 02-02 अदद टी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय। भवन में मानक के अनुरूप तद्विषय चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाय इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
18. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
19. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

SUDHIR
KUMAR VERMA

For the purpose of the above mentioned
plan the following conditions shall be observed:-
1. The plan shall be approved by the
competent authority.
2. The plan shall be approved by the
competent authority.
3. The plan shall be approved by the
competent authority.
4. The plan shall be approved by the
competent authority.

(श्री सुधीर कुमार वर्मा)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

LUCKY CONVERGES
PARTNER